न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि., सिरोही

बनाम

अभियुक्त

1. मुरली भम्भानी पुत्र श्री सावल जी भम्भानी,
   निवासी–बडी जुम्मा मस्जिद के पास, खारवाल मोहल्ला, आबूरोड़, जिला– सिरोही (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता),

मैसर्सः– न्यू कोल्ड ड्रिंक्स प्लेस, रेल्वे स्टेशन रोड़ दुकान नं. 3, आबूरोड़, जिला–सिरोही

प्रकरण संख्याः 08/2018

''जुर्म अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 ''

उपस्थितिः

1. मुरली भम्भानी (अभियुक्त स्वयं)

–: निर्णय :– **दिनांक 30 मई, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.4.2017 को समय 5.30 पी.एम. पर फर्म न्यू कोल्ड ड्रिंक्स प्लेस, रेल्वे स्टेशन रोड़ दुकान नं. 3, आबूरोड़, जिला–सिरोही पर पॅहुचा। वहां खाद्य विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति मुरली भम्भानी पुत्र श्री सावल जी भम्भानी है एवं न्यू कोल्ड ड्रिंक्स प्लेस, रेल्वे स्टेशन रोड दुकान नं. 3, आबूरोड़ पर मालिक एवं खाद्यकारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ मीठा दही आदि का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान एल्युमिनयम परात में मौजूद रखे हुए 10 किलोग्राम मीठा दही में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं खाद्य कारोबारकर्ता से जांच हेतु 1200 ग्राम मीठा दही खरीदा एवं उसकी कीमत रुपये 70/– अदा किये एवं रसीद प्राप्त की, जिस पर मेरे व विक्रेता, गवाहों के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म संख्या 5ए तैयार किया जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल फार्म नं. 5ए, नमूना खरीद रसीद संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता की उपस्थिति में खरीद किये गये मीठा दही को चार भागों में करके चार साफ सूखी प्लास्टिक की बोतल दिखाई एवं खरीद शुदा खाद्य पदार्थ मीठा दही को प्रत्येक बोतल में 500–500 ग्राम लेकर प्रत्येक नमूना बोतल में 24–24 बूंदे

......पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही (राज.)

फॉर्मेलीन की डाली एवं ढक्कन को एयर टाईट बन्द किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड एवं क्रमांक S-728, दिनांक, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ आदि का नाम अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना शीशी पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारो नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज के रेपर में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-728 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लीप को क्रोस करते हुए खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों ने पढ़कर सुन कर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फिर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुचकर फार्म नं. 6 की प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया था। चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व मजबूत धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया एवं फार्म नंबर 6 की प्रतियां अलग से लिफाफो में बंद कर गोंद से चिपकाया। फिर नमूनें के चारों भागों एवं लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28.4.2017 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 27.4.2017 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से दिनांक 31.5.2017 को खाद्य पदार्थ मीठा दही की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ मीठा दही का नमूना S-728 अमानक स्तर (Sub-standard) पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मीठा दही का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 07.5.2018 एवं 30.5.2018 को अभियुक्त इस न्यायालय में उपस्थित हुअ। अभियुक्त मुरली भम्भानी ने दिनांक 30.5.2018 को लिखित जवाब प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया कि

.....पेज तीन पर

(सिरोही-307001)

मेरी दुकान नं. 3 न्यू कोल्ड ड्रिंक कोर्नर, रेल्वे स्टेशन के पास, आबूरोड़ से श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दही का सेम्पल लिया था जिसकी रिपोर्ट में फेट कम होना बताया है। हम जो दही जमाते है वह दूध गांव से खुल्ला आता है जिसमें दूध के फेट की मात्रा का कोई नापतोल नही होता एवं उनके द्वारा जो रेट दूध का मांगा जाता है वो रेट हमारे द्वारा दिया जाता है। इस दूध में हमारे द्वारा किसी प्रकार की मिलावट किये बिना दूध को जमाकर दही बनाया जाता है तथा इसे खुल्ला दही और लस्सी बनाकर विक्रय किय ाजाता है। फेट की मात्रा 5 प्रतिशत होनी चाहिये, किन्तु इस फेट का मात्रा से दही नही जमता है। अमूल गोल्ड दूध में निर्धारित फेट की मात्रा 5 प्रतिशत आती है किन्तु इस दूध में गाय का दूध मिक्स होता है जिसके कारण दही नही जमता है। आपका जो भी फैसला होगा वह हमें मान्य होगा एवं भविष्य में हम कभी भी शिकायत का मौका नही देंगे।

(3) प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत तिथि 30.5.2018 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये, परन्तु प्रकरण में अभियुक्त द्वारा उपुर्यक्तानुसार जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से अभियुक्त को दिनांक 30.5.2018 को ही सुना गया। अभियुक्त ने अनुरोध किया कि उसने गांवों से आने वाले खुल्ला दूध खरीदा था जिसमें फेट की मात्रा कम होने से दही में फेट की निर्धारित मात्रा नही आई है। भविष्य में अच्छी गुणवत्ता की सामग्री का ही विक्रय करेंगे, इसलिये कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.4.2017 को समय 5.30 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स न्यू कोल्ड ड्रिंक प्लेस, रेल्वे स्टेशन रोड दुकान नं. 3, आबूरोड़, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म मैसर्स न्यू कोल्ड ड्रिंक प्लेस, रेल्वे स्टेशन रोड़ दुकान नं. 3, आबूरोड़ में मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मुरली भम्भानी पुत्र सांवल जी भम्भानी उपस्थित मिले। जो आम जनता के लिये खाद्य पदार्थ मीठा दही आदि का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म न्यू कोल्ड ड्रिंक्स प्लेस, रेल्वे स्टेशन रोड़ दुकान नं. 3, आबूरोड़ के निरीक्षण के दौरान एल्युमिनयम परात में मौजूद रखे हुए 10 किलोग्राम खाद्य पदार्थ मीठा दही में मिलावट का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की इच्छा जाहिर की एवं खाद्य कारोबारकर्ता मुरली भम्भानी से 1200 ग्राम मीठा दही खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 70/- अदा कर रसीद प्राप्त की। रसीद बिल पर खाद्य कारोबारकर्ता मुरली भम्भानी एवं गवाह श्री पवन कुमार पुत्र श्री किशनचन्द, सिन्धी कॉलोनी, आबूरोड़ तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5ए की पूर्ति कर फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए पर खाद्य कारोबारकर्ता मुरली भम्भानी एवं गवाह श्री पवन कुमार पुत्र श्री किशनचन्द, सिन्धी कॉलोनी, आबूरोड़ व श्री विजयकान्त गौतम पुत्र श्री द्वारका प्रसाद ब्राह्मण,

......पेज चार पर

अति. जिला अभियोजक
सिरोही-307001.

निवासी- 6/172 के के कॉलोनी, जोधपुर तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता एवं उक्त गवाहान की उपस्थिति में उक्त क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मीठा दही को चार भागों में करके चार साफ व सुखी प्लास्टिक की बोतलों में 500-500 ग्राम लेकर प्रत्येक नमूना बोतल में 24-24 बूंदे फार्मेलीन की डालकर बोतलों के मुंह को ढ्क्कन से एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-728, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता एवं उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूनों भागों को खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-728 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता मुरली भम्भानी व उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता मुरली भम्भानी, उक्त गवाहों एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत फर्म न्यू कोल्ड ड्रिंक्स प्लेस, रेल्वे स्टेशन रोड दुकान नं. 3, आबूरोड़ में खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता मुरली भम्भानी से खाद्य पदार्थ मीठा दही का नमूना जांच हेतु क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर-6 की प्रतियां लिफाफों में अलग से बन्द कर गोंद से चिपकाकर नमूना के चारों भागों व लिफाफो को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28.4.2017 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 27.4.2017 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर- 6 को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा

.....पेज पांच पर

जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ मीठा दही के नमूना संख्या S-728 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./413/Act/2017/412 दिनांक 11.5.2017 के अनुसार आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता मुरली भम्भानी से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मीठा दही अमानक स्तर (Sub-standard) का होना पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि अभियुक्त मुरली भम्भानी द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मीठा दही का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। प्रकरण में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2017/3331-33 दिनांक 31.5.2017 के संलग्न खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत उक्त विश्लेषण रिपोर्ट दिनांक 11.5.2017 की प्रति मुरली भम्भानी पुत्र सांवल जी, खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म न्यू कोल्ड ड्रिंक्स, दुकान नं. 3 रेल्वे स्टेशन रोड़, आबूरोड़ को प्रेषित कर सूचित किया गया है कि उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप 8 में इस पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अन्दर प्रस्तुत करे, लेकिन अभियुक्त मुरली भम्भानी ने अपील हतु आवेदन प्रस्तुत नही किया।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत अभियुक्त मुरली भम्भानी पुत्र सांवल जी भम्भानी, खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स न्यू कोल्ड ड्रिंक्स प्लेस, रेल्वे स्टेशन रोड दुकान नम्बर-3, आबूरोड़, जिला- सिरोही, निवासी- बडी जुम्मा मस्जिद के पास, खारवाल मोहल्ला, आबूरोड़, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त अभियुक्त मुरली भम्भानी पुत्र सांवल जी भम्भानी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स न्यू कोल्ड ड्रिंक्स प्लेस, रेल्वे स्टेशन रोड़ नम्बर-3, आबूरोड़, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

30.05.18

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही